



2026:AHC:27541

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3401/2026

आशीष उर्फ छोटू

.....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: बृजेश कुमार सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता

: सरकारी अधिवक्ता

कोर्ट नंबर- 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार मौर्य, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वर्ष 2023 में पीड़िता आवेदक के साथ चली गई थी, उस समय पीड़िता की आयु 15 वर्ष बताई गई थी। आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जिसकी जमानत याचिका के साथ संलग्न हलफनामे में दिनांक 10.11.2023 के जमानत आदेश की प्रति अनुलग्नक-8 के रूप में संलग्न है। अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अब पीड़िता फिर से आवेदक के साथ चली गई है, जिसके कारण इस मामले में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है, जिसमें पीड़िता की आयु फिर से 15 वर्ष बताई गई है। अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि वास्तव में पीड़िता बालिग हो चुकी है और उसने अपनी मर्जी और सहमति से ही आवेदक के साथ गई थी। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि आवेदक ने उसे बालाजी मंदिर बुलाया था और वहां विवाह संपन्न कराया था तथा उसकी सहमति से शारीरिक संबंध भी स्थापित किए गए थे। इसलिए यह तर्क दिया गया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और इसलिए वह जमानत का हकदार है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की झूठी प्रकृति को साबित करने के लिए कई अन्य दलीलें भी न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया है, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह विधि के अनुपालन में सहयोग करने के लिए तत्पर है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। आवेदक ने आगे बताया कि वह 13.09.2025 से जेल में बंद है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि मुकदमे से पहले के चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे किसी प्रकार की रियायत नहीं मिलनी चाहिए। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा। यद्यपि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने भी आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों का खंडन नहीं कर सके।

4. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों, साक्ष्यों की प्रकृति और मामले से संबंधित सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



करते हुए, मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध कर दिया है। अतः जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

5. मामला संख्या 143/2025, धारा 137(2), 87, 65(1) बी.एन.एस. और पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 3/4(2) के तहत, पुलिस स्टेशन आरान, जिला फिरोजाबाद में आरोपी **आशीष उर्फ छोटू** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो स्थानीय भारी जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
 - iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।
 - v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।
6. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

9 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"